राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव

बनाम

बिहार राज्य, केंद्रीय जांच ब्यूरो के द्वारा

5 अगस्त, 2010

(न्यायमूर्तिगण मार्कंडेय काटजू और ए0 के0 पटनायक)

पुर्नविलोकन:

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पुर्नविलोकन के लिए याचिका, जिससे उच्च न्यायालय द्वारा पुर्नविलोकन याचिकाकर्ता को जमानत दिए जाने के आदेश को अपास्त किया गया – आत्मसमर्पण से निर्मुक्ति हेतु प्रार्थनापत्र भी प्रस्तुत किया गया – अवधारितः यह आश्चर्यजनक है कि न्यायालय द्वारा अभियुक्त की जमानत निरस्त किये जाने के बजाय न तो अभियुक्त द्वारा आत्मसमर्पण किया गया और न ही उसे अभिरक्षा में ही लिया गया – पुर्नविलोकन याचिका के साथ ही आत्मसमर्पण से निर्मुक्ति के लिए आवेदन में भी कोई गुण–दोष नहीं है तथा वे तदनुसार निरस्त किये जाते हैं – सीबीआई तथा महानिदेशक पुलिस, बिहार को न्यायालय के आदेश दिनांकित 03 मई, 2010 का त्वरित अनुपालन करने तथा अनुपालन आख्या न्यायालय को प्रेषित करने कि लिए निर्देशित किया जाता है – जमानत निरस्त।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः पुनर्विलोकन याचिका (आपराधिक) संख्या 352 सन 2010।

आपराधिक अपील संख्या 960 सन 2010 में

इस माननीय न्यायालय द्वारा आपराधिक अपील संख्या 960 सन 2010 में पारित आदेश दिनांकित 03.05.2010
के विरुद्ध।

याचिकाकर्ता की ओर से प्रेमप्रकाश।

न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश दिया गया।

आदेश

इस न्यायालय के आदेश दिनांकित 03 मई, 2010 के पुनर्विलोकन हेतु यह पुर्नविलोकन याचिका दायर की गयी है जिसके द्वारा याचिकाकर्ता की बेल स्वीकृत करते हुए प्रश्नगत निर्णय तथा आदेश दिनांकित 18.02.2009 को निरस्त किया गया है। यह निर्देशित किया जाता है कि याचिकाकर्ता अभियुक्त राजेश रंजन उर्फ पप्पु यादव को तुरंत अभिरक्षा में लिया जाये।

इस पुर्नविलोकन याचिका के साथ आत्मसमर्पण से निर्मुक्ति हेतु एक प्रार्थनापत्र भी प्रस्तुत किया गया है। हमें आश्चर्य है कि इस न्यायालय द्वारा अभियुक्त की जमानत रद्द किये जाने के बजाय न तो अभियुक्त द्वारा आत्मसमर्पण किया गया और न अभियुक्त को अभिरक्षा में ही लिया गया।

हमने पुनर्विलोकन याचिका के संबंधित प्रपत्रों के साथ आत्मसमर्पण निर्मुक्ति हेतु प्रार्थनापत्र का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। हम इनमें कोई गुण–दोष नही पाते हैं तथा वे तदनुसार निरस्त किये जाते हैं।

सीबीआई तथा पुलिस महानिदेशक बिहार को इस न्यायालय के आदेश दिनांकित 03 मई, 2010 को तुरंत निष्पादित करने के लिए तथा अनुपालन आख्या इस न्यायालय को आज से चार सप्ताह के अन्दर प्रेषित किये जाने के लिये निर्देशित किया जाता है ।

पुनर्विलोकन आख्या निरस्त की जाती है।